तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज बाबूलाल गौड़ बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) **सू.अ.अ. अपील संख्या 31 / 2020**	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.02.20	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी बाबूलाल गौड़ पुत्र बद्रीनारायण गौड़, पता 77 / 78, ओम कॉलानी, सरस्वतीनगर, सेक्टर सी, बासनी प्रथम ोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 21.01. 2020 में उसके द्वारा (1) नकल पट्टा विलेख पत्रावली नं. 1525 / 89 निर्णय दिनांक 11.10.89 सम्पूर्ण पत्रावली रद्ध हुआ आदेश की प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से आज दिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	